# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

| क्र. सं. | अपील संख्या | अपीलार्थीगण का नाम | प्रत्यर्थी विभाग |
|---|---|---|---|
| 1. | 2412/2024 | निर्मला कालड़ा | 1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।<br>2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार, जयपुर।<br>3. श्री महेन्द्र खण्डेलवाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर। |
| 2. | 2413/2024 | मिनाक्षी सांख्यधर | |
| 3. | 2417/2024 | राधा किशन गुर्जर | |
| 4. | 2418/2024 | राम बिहारी शर्मा | |
| 5. | 2414/2024 | राज कुमार वर्मा | 1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।<br>2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार, जयपुर।<br>3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।<br>4. श्री महेन्द्र खण्डेलवाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर। |

**आदेश की दिनांक** : 29.07.2024

**उपस्थित :–**

**अपीलार्थीगण की ओर से** : श्री संदीप सक्सेना, अधिवक्ता

**समक्ष :–** **अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण का यह कथन रहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1986 में कनिष्ठ लिपिकों के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें अपीलार्थीगण ने भाग लिया था। विज्ञापन राज्य स्तरीय था, परंतु विज्ञापन के तहत जो परिणाम जारी किया गया, वह जिला स्तरीय होने के कारण कम अंक वाले व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान की गई, जबकि अपीलार्थीगण के अधिक अंक होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण को नियुक्ति नहीं दी गई थी। उपरोक्त परीक्षा परिणाम के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष याचिका दायर की गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए परिणाम को राज्य स्तरीय जारी कर न्यूनतम अंक प्राप्त अभ्यर्थी जिन्हें नियुक्ति दी गई है, के अंकों तक सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश दिये गये। जिसके पश्चात अपीलार्थीगण को नियुक्ति प्रदान की गई, परंतु वरिष्ठता एवं

वेतन वृद्धि का लाभ कम अंक वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की दिनांक से नहीं दिया गया। अपीलार्थीगण के समान अन्य अभ्यर्थियों को वरिष्ठता व नोशनल फिक्सेशन का लाभ न्यायालय के आदेशों की पालना में कनिष्ठ कर्मचारियों के बराबर दिया जा चुका है, परन्तु अपीलार्थीगण को वरिष्ठता एवं नोशनल पे–फिक्शेसन का लाभ नहीं दिया गया है। अपीलार्थीगण भी उनसे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी महेन्द्र खण्डेलवाल की नियुक्ति की दिनांक से दिनांक 05.03.1990 से लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थीगण के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

6. मूल आदेश अपील संख्या 2412/2024 में रखा जावें एवं इसकी छाया प्रति उपरोक्त तालिका में अंकित अन्य समस्त अपीलों में सलंग्न की जावें।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**